न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 92/2016 तारीख रजु 4.07.2016

उनवान

अब्दुल रज्जाक पुत्र कजौडी जाति मुसलमान निवासी जटनगला हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

---------वादी

बनाम

सहजो वेबा रमजानी जाति फकीर मुसलमान बगैरह निवासी जटनगला तह0 हिण्डौन जिला करौली ।

-----प्रतिवादी (16)

उपस्थितिः—

वादीगण की ओर से :— श्री सन्तोष कुमार मुद्‌गल एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :—श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम जटनगला तहसील हिण्डोन के के खसरा नंबर 592,1111,1112,1116,1113,1114,1115,1509/1117, के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार–बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 92/2016 अब्दुल रज्जाक बनाम सहजो अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 18:55:37 IST
Reason: SelfAttested